तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व वाद संख्या 153/2025 (2025/547) अनवान राजेन्द्र कलबी बनाम किसन वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2026	पत्रावली आज पेश हुई। वादी द्वारा एक वाद ग्राम लूणी तहसील लूणी के खसरा संख्या 98 रकबा 3.8040 हेक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त कृषि भूमि जिसमें वादी का 1/3 हक हिस्सा है, वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु पेश किया है। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2की और से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.01.2026 को अमल में लाई गई है। वादी राजेन्द्र कलबी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल हों। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वाद की बहस सूनी एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद में वर्णित विवादग्रस्त भूमि का अपने हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है जो कि वाद के सलंग्न जमाबन्दी से स्पष्ट है उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम लूणी तहसील लूणी के खसरा संख्या 98 रकबा 3.8040 हेक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदारी की कृषि भूमि में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली वास्ते बटवाड़ा प्रस्ताव के इन्तजार में दिनांक 18.02.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	